

प्रेषक,  
नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 01 जनवरी, 2018।

विषय- "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" के अन्तर्गत 250 मूत्रालयों के निर्माण हेतु केन्द्रांश धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1606/4/15-16, दिनांक 09.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.10.2017 के द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत 250 मूत्रालय के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-1/18/2015-एस0बी0एम0, दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 32.00 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 48.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/xxvii (1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-13 में प्राविधान है कि केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त निर्गत करने के बाद राज्यांश की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से पृथक से अवमुक्त की जायेगी।

3- अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत 250 मूत्रालय निर्माण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रू0 32.00 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 32.00 लाख आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) स्वच्छ भारत मिशन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।



- (iv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- (vi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाए।
- (vii) निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था और उसके अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (viii) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासी प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- (x) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।
- (xi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (xii) निर्माण कार्यों के संबंध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xiii) पूर्व निर्गत शासनादेशों क्रमशः दिनांक 11.08.2015 तथा 18.12.2015 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0108-स्वच्छ भारत मिशन-20-सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता" मद के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/xxviii(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के प्राविधानों के क्रम में निर्गत की जा रही है।
- 5- एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या-5180/130006 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)  
सचिव।

संख्या- ०१ /IV-3/2017-45(सा०)/2015, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी०-1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*Vino*

29.12.17

(विनोद कुमार सुमन)  
अपर सचिव।